



राज्य, नागरिक और मानवाधिकार: समकालीन विमर्श

डॉ० अंकुर सिंह

सहायक आचार्य

श्री राम - कृष्ण महाविद्यालय, किसौली, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)

ई-मेल: ankurdeol1992@gmail.com

सारांश

मानवाधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की रक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य, नागरिक और मानवाधिकार के मध्य संबंध राजनीतिक विज्ञान, विधि तथा मानवाधिकार शोध-पत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सक्रिय घटक के रूप में अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों का निर्वहन करते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राज्य, नागरिक और मानवाधिकार के अंतर्संबंधों का समकालीन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है तथा यह समझना है कि बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी परिस्थितियों में मानवाधिकारों की अवधारणा किस प्रकार विकसित हो रही है।

यह शोध-पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें मानवाधिकार संबंधी साहित्य, संवैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों, शोध-पत्रों तथा समकालीन विमर्शों का विश्लेषण किया गया है। शोध-पत्र से स्पष्ट होता है कि मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान, विधिक व्यवस्था, न्यायपालिका तथा विभिन्न मानवाधिकार संस्थाओं के माध्यम से राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है। साथ ही नागरिकों की जागरूकता, सहभागिता और उत्तरदायित्व भी मानवाधिकारों की सफलता के लिए आवश्यक हैं।

समकालीन युग में वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण, साइबर प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक असमानता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों ने मानवाधिकार विमर्श को नई चुनौतियों और आयामों से जोड़ दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा डिजिटल अधिकार जैसे विषय वर्तमान मानवाधिकार चर्चा के केंद्र में हैं। शोध-पत्र निष्कर्षतः प्रतिपादित करता है कि राज्य और नागरिक के मध्य संतुलित एवं उत्तरदायी संबंध ही मानवाधिकारों की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। एक



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

लोकतांत्रिक, समावेशी तथा मानवाधिकार-आधारित शासन व्यवस्था न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सतत विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

बीज शब्द: राज्य, नागरिक, मानवाधिकार, लोकतंत्र, नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा, संवैधानिक अधिकार, डिजिटल अधिकार, सुशासन।

प्रस्तावना

मानवाधिकार की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ निरंतर विकसित होती रही है। प्राचीन काल से ही मानव गरिमा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को सामाजिक जीवन का आधार माना जाता रहा है, किंतु आधुनिक अर्थों में मानवाधिकारों का विकास प्राकृतिक अधिकारों, सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त तथा लोकतांत्रिक विचारधाराओं के उद्भव के साथ हुआ। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के आधार पर प्राप्त अधिकार हैं, जो उसके व्यक्तित्व के विकास और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लॉक, जॉन के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं तथा राज्य का प्रमुख दायित्व इन अधिकारों की रक्षा करना है।¹ इसी प्रकार राज्य और नागरिक के मध्य संबंधों का विकास भी राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रारम्भिक निरंकुश राज्य व्यवस्था से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य तक नागरिकों की भूमिका और अधिकारों में निरंतर विस्तार हुआ है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार शासन की वैधता, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रमुख आधार बन चुके हैं।

समकालीन युग में वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण ने मानवाधिकार विमर्श को नए आयाम प्रदान किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, डिजिटल अधिकार तथा सूचना तक पहुँच जैसे नए मुद्दे मानवाधिकार चर्चा के केंद्र में आए हैं। सेन, अमर्त्य के अनुसार विकास का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं और अवसरों का विस्तार करना है, जो मानवाधिकारों की मूल भावना से जुड़ा हुआ है।² इस प्रकार वैश्विक और डिजिटल परिवर्तनों ने मानवाधिकारों के स्वरूप तथा उनकी सुरक्षा के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

वर्तमान समय में मानवाधिकारों का संरक्षण केवल कानूनी विषय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय और मानव विकास का आधार बन गया है। राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे तथा उनके सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ सुनिश्चित करे। साथ ही नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की समकालीन प्रासंगिकता को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि अधिकारों के साथ सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व भी जुड़े होते हैं। वर्तमान



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

समय में आतंकवाद, डिजिटल निगरानी, निजता का संकट, सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय चुनौतियाँ तथा वैश्विक प्रवासन जैसी समस्याएँ मानवाधिकारों के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। इन परिस्थितियों में राज्य, नागरिक और मानवाधिकारों के मध्य संबंधों का गहन शोध-पत्र अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राज्य, नागरिक और मानवाधिकार की मूल अवधारणाओं का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत राज्य और नागरिक के पारस्परिक संबंधों का शोध-पत्र किया जाएगा तथा मानवाधिकार संरक्षण में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही समकालीन मानवाधिकार विमर्श, डिजिटल युग की चुनौतियों, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतंत्रताओं तथा वैश्विक परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण भी किया जाएगा। शोध-पत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा और संवर्धन हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है।

यह शोध-पत्र मानवाधिकार विमर्श को सुदृढ़ सैद्धान्तिक आधार प्रदान करने में सहायक होगा। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता, राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका तथा मानव गरिमा की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। यह शोध-पत्र नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे मानवाधिकार संरक्षण की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों का समग्र विश्लेषण प्राप्त होगा। साथ ही यह शोध-पत्र एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करता है जिसमें राज्य और नागरिक दोनों मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हों तथा सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को व्यवहार में स्थापित किया जा सके।

राज्य, नागरिक और मानवाधिकार : वैचारिक एवं सैद्धान्तिक आधार

राज्य राजनीतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता का अस्तित्व पाया जाता है। राज्य सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। गार्नर, जेम्स विल्फर्ड के अनुसार राज्य एक ऐसे समुदाय को कहा जाता है जो निश्चित भू-भाग में निवास करता है, जो बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र होता है तथा जिसकी एक संगठित सरकार होती है।³ राज्य के चार प्रमुख तत्व जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार और संप्रभुता माने जाते हैं। इन तत्वों के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

आधुनिक राज्य की विशेषताओं में संप्रभुता, विधि का शासन, प्रशासनिक संगठन, जनकल्याणकारी दृष्टिकोण तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व प्रमुख हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य केवल



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है। लास्की, हैरोल्ड जे. के अनुसार राज्य का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है।⁴ इस प्रकार आधुनिक राज्य मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का प्रमुख माध्यम बन गया है।

नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के मध्य स्थापित वैधानिक तथा राजनीतिक संबंध को व्यक्त करती है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे राज्य द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं तथा जो राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। मार्शल, थॉमस हम्फ्री के अनुसार नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं।⁵

नागरिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार तथा विधिक संरक्षण का अधिकार सम्मिलित हैं। वहीं नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों में संविधान का सम्मान, कानूनों का पालन, राष्ट्रीय एकता की रक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन शामिल है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय नागरिकता की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सक्रिय नागरिकता का तात्पर्य नागरिकों की शासन, नीति-निर्माण और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता से है। सक्रिय नागरिक लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनाते हैं तथा मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के आधार पर प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मानवाधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर प्रदान करना है। डोनली, जैक के अनुसार मानवाधिकार वे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवता के आधार पर प्राप्त होते हैं।⁶

मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, अपरिहार्यता तथा समानता सम्मिलित हैं। ये अधिकार किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर सीमित नहीं होते। मानवाधिकारों का वर्गीकरण सामान्यतः नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों तथा सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में किया जाता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार का अधिकार सम्मिलित है। सांस्कृतिक अधिकार व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण से संबंधित होते हैं।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

राज्य, नागरिक और मानवाधिकार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए राज्य का अस्तित्व आवश्यक है, जबकि राज्य की वैधता नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण पर निर्भर करती है। नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ राज्य उनसे उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा भी करता है। अधिकार और उत्तरदायित्व एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है; वहीं यदि राज्य अधिकारों की रक्षा नहीं करता, तो उसकी वैधता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

लोक, जॉन के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी और यदि राज्य इस उद्देश्य में विफल हो जाए तो नागरिकों को उसका विरोध करने का अधिकार है।⁷ नागरिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के मध्य संतुलन लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी संतुलन के माध्यम से मानवाधिकारों की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

मानवाधिकारों का सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

प्राकृतिक अधिकार सिद्धान्त मानवाधिकारों के विकास का आधार माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ अधिकार व्यक्ति को जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं और इन्हें कोई राज्य या संस्था प्रदान नहीं करती। लॉक, जॉन ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार बताया तथा कहा कि राज्य का प्रमुख कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है।⁸ यह सिद्धान्त मानव गरिमा और स्वतंत्रता की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान करता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति और वैधता की व्याख्या करता है। हॉब्स, थॉमस के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित था, इसलिए लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना की।⁹ लॉक, जॉन ने सामाजिक अनुबंध को प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का माध्यम माना, जबकि रूसो, जाँ-जाक ने सामान्य इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए राज्य को जनसत्ता का प्रतिनिधि माना।¹⁰ इन विचारकों के सिद्धान्त आधुनिक मानवाधिकार विमर्श की आधारशिला हैं। उदारवादी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को सर्वोच्च महत्व देती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। मिल, जॉन स्टुअर्ट के अनुसार व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने तथा जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।¹¹ उदारवाद मानवाधिकारों को लोकतांत्रिक शासन का आधार मानता है। मार्क्सवादी विचारधारा मानवाधिकारों को सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में देखती है। मार्क्स, कार्ल के अनुसार पूँजीवादी समाज में अधिकारों की अवधारणा प्रायः वर्गीय हितों से प्रभावित होती है।¹² मार्क्सवाद सामाजिक और आर्थिक अधिकारों, जैसे



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व देता है। यह दृष्टिकोण मानवाधिकारों को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं मानता, बल्कि सामाजिक न्याय से भी जोड़ता है।

समकालीन मानवाधिकार सिद्धान्त मानव गरिमा को मानवाधिकारों का मूल आधार मानते हैं। आधुनिक विचारकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और समानता का अधिकारी है। वर्तमान समय में मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद के मध्य बहस भी महत्वपूर्ण है। एक पक्ष मानवाधिकारों को सार्वभौमिक मानता है, जबकि दूसरा पक्ष विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्याख्या का समर्थन करता है। अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकास, शासन और सामाजिक न्याय की प्रक्रियाओं को मानवाधिकारों से जोड़ता है तथा यह प्रतिपादित करता है कि विकास का अंतिम उद्देश्य मानव गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा होना चाहिए।

मानवाधिकार संरक्षण में राज्य की भूमिका

मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में राज्य की भूमिका केंद्रीय है। संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तथा विधि के शासन के माध्यम से उनकी रक्षा सुनिश्चित की जाती है। न्यायपालिका इन अधिकारों की संरक्षक के रूप में कार्य करती है और नागरिकों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनों, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को साकार करने का प्रयास करता है।

मानवाधिकार संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने मानवाधिकारों के विस्तार और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायालयों ने अनेक मामलों में जीवन के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता तथा गरिमामय जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों के वैश्विक संरक्षण और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने तथा मानव गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार राज्य, न्यायपालिका तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ मिलकर मानवाधिकार संरक्षण की एक व्यापक व्यवस्था का निर्माण करती हैं।

नागरिक और मानवाधिकार : समकालीन विमर्श

समकालीन लोकतांत्रिक समाज में नागरिक और मानवाधिकार का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। मानवाधिकार केवल कानूनी अधिकारों का समूह नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता,



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

समानता और सामाजिक न्याय से जुड़े मूलभूत मूल्य हैं। वर्तमान युग में वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा नई राजनीतिक चुनौतियों ने मानवाधिकार विमर्श को व्यापक और बहुआयामी बना दिया है। नागरिक अब केवल राज्य के अधीन रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अधिकारों और उत्तरदायित्वों से युक्त सक्रिय सहभागी हैं। इसी कारण मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का प्रश्न समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन का केंद्रीय विषय बन गया है।

नागरिक स्वतंत्रताएँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं और मानवाधिकारों की मूल अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, मतों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यह स्वतंत्रता लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक शासन की आलोचना कर सकते हैं, जनमत का निर्माण कर सकते हैं तथा सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। मिल, जॉन स्टुअर्ट के अनुसार विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति सत्य की खोज और समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है।¹³ इसी प्रकार धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने तथा उनका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करती है। बहुलतावादी समाजों में यह अधिकार सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। संगठन बनाने का अधिकार भी नागरिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने हितों की रक्षा और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूहों तथा संगठनों का गठन कर सकते हैं। ये सभी स्वतंत्रताएँ मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं तथा लोकतांत्रिक समाज की आत्मा मानी जाती हैं।

डिजिटल क्रांति ने मानवाधिकारों के स्वरूप और चुनौतियों दोनों को परिवर्तित किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने नागरिकों को अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं, किंतु इसके साथ ही नए प्रकार के अधिकारों और खतरों का भी उदय हुआ है। निजता का अधिकार डिजिटल युग का सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार बनकर उभरा है। नागरिकों की व्यक्तिगत सूचनाएँ, संचार और ऑनलाइन गतिविधियाँ निरंतर डिजिटल मंचों पर संग्रहित की जा रही हैं, जिससे गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा बढ़ गया है। वेस्टिन, एलन एफ. के अनुसार निजता व्यक्ति के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का मूल आधार है।¹⁴

डिजिटल निगरानी की बढ़ती प्रवृत्ति भी मानवाधिकारों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के नाम पर विभिन्न संस्थाएँ नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखती हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त साइबर अधिकारों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेट तक पहुँच, डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा ऑनलाइन सुरक्षा को



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

अब मानवाधिकारों के नए आयामों के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रकार डिजिटल युग ने मानवाधिकार विमर्श को नई दिशा प्रदान की है।

मानवाधिकारों का संबंध केवल राजनीतिक स्वतंत्रताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लैंगिक समानता मानवाधिकार विमर्श का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सहभागिता में समान अवसर प्रदान करना मानवाधिकारों की मूल भावना का हिस्सा है। नुसबाम, मार्था सी. के अनुसार किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन महिलाओं की स्थिति और उनकी क्षमताओं के विकास के आधार पर किया जाना चाहिए।¹⁵

दलित एवं आदिवासी अधिकार भी सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण आयाम हैं। ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना मानवाधिकारों की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक पहचान, भाषा, धर्म और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष महत्व रखता है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और सम्मान प्रदान करना है, जिससे मानवाधिकारों की वास्तविक स्थापना संभव हो सके।

वर्तमान समय में पर्यावरण और मानवाधिकार का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को अब मानव जीवन के लिए आवश्यक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने मानव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। बॉयल, एलन के अनुसार स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानवाधिकारों की समकालीन अवधारणा का अभिन्न अंग बन चुका है।¹⁶ सतत विकास की अवधारणा भी मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका है।

राज्य, नागरिक और मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियाँ

राज्य, नागरिक और मानवाधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना आधुनिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य की जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किंतु कई बार सुरक्षा उपाय व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सीमित कर देते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद तथा संगठित अपराध जैसी चुनौतियों के कारण राज्य कठोर



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

सुरक्षा नीतियाँ अपनाता है, जिससे मानवाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वाल्जर, माइकल के अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन बनाए रखना है।¹⁷

डिजिटल निगरानी और निजता का संकट भी समकालीन युग की प्रमुख चुनौती है। आधुनिक तकनीकों ने राज्य और निजी संस्थाओं को नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान की है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता पर खतरा उत्पन्न होता है। सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ भी मानवाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव के कारण अनेक नागरिक अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते।

मानवाधिकारों के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। अनेक देशों में मानवाधिकारों की संवैधानिक और कानूनी मान्यता होने के बावजूद उनका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता। प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण ने मानवाधिकार विमर्श को नई चुनौतियाँ प्रदान की हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, श्रमिक अधिकारों का हनन, प्रवासन संबंधी समस्याएँ तथा वैश्विक आर्थिक असमानताएँ मानवाधिकारों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। अतः आवश्यक है कि राज्य, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ मिलकर ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित करें जो मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें तथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को व्यवहार में स्थापित कर सकें।

निष्कर्ष

राज्य, नागरिक और मानवाधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन ऐसे आधारभूत स्तंभ हैं जो परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। राज्य का प्रमुख दायित्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके लिए सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना है, जबकि नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सक्रिय घटक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मानवाधिकार इन दोनों के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के मूल्यों को संरक्षित और प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य और नागरिक मानवाधिकारों के प्रति कितने जागरूक, उत्तरदायी और प्रतिबद्ध हैं।

मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में राज्य की भूमिका केंद्रीय और अपरिहार्य है। संविधान, विधिक व्यवस्था, न्यायपालिका तथा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से राज्य नागरिकों के मौलिक



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और न्याय जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के माध्यम से राज्य मानवाधिकारों के व्यापक स्वरूप को साकार करने का प्रयास करता है। यदि राज्य अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करता है, तो समाज में न्याय, समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें और अधिक मजबूत होती हैं।

नागरिक सहभागिता भी मानवाधिकार संरक्षण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जागरूक, सक्रिय और उत्तरदायी नागरिक न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों के अधिकारों के सम्मान और संरक्षण में भी योगदान देते हैं। नागरिक समाज, सामाजिक संगठन, मीडिया तथा विभिन्न जनआंदोलन मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और उनके उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मानवाधिकारों की प्रभावी स्थापना केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों की सहभागिता और सामाजिक चेतना पर भी निर्भर करती है।

समकालीन युग में मानवाधिकारों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उपस्थित हैं। सुरक्षा और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन, आतंकवाद, डिजिटल निगरानी, निजता का संकट, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ, पर्यावरणीय समस्याएँ तथा वैश्वीकरण के प्रभाव मानवाधिकारों की सुरक्षा को जटिल बनाते हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल कानूनी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए संवेदनशील शासन, सामाजिक न्याय, जनजागरूकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता आवश्यक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानवाधिकार आधारित लोकतांत्रिक शासन ही एक ऐसे समाज के निर्माण का आधार बन सकता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो तथा मानव कल्याण और सामाजिक विकास के आदर्शों को वास्तविक रूप से साकार किया जा सके।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

सन्दर्भ सूची

1. लॉक, जॉन, शासन पर द्वितीय ग्रंथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1988, पृ. 268
2. सेन, अमर्त्य, विकास के रूप में स्वतंत्रता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2000, पृ. 36
3. गार्नर, जेम्स विल्फर्ड, राजनीति विज्ञान का परिचय, अमेरिकन बुक कंपनी, न्यूयॉर्क, 1928, पृ. 127
4. लास्की, हैरोल्ड जे., राज्य का सिद्धान्त, जॉर्ज एलेन एंड अनविन, लंदन, 1935, पृ. 42
5. मार्शल, थॉमस हम्फ्री, नागरिकता और सामाजिक वर्ग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1950, पृ. 28
6. डोनली, जैक, सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धान्त और व्यवहार, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, इथाका, 2013, पृ. 11
7. लॉक, जॉन, शासन पर द्वितीय ग्रंथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1988, पृ. 350
8. लॉक, जॉन, शासन पर द्वितीय ग्रंथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1988, पृ. 287
9. हॉब्स, थॉमस, लेवायथन, पेंगुइन बुक्स, लंदन, 1968, पृ. 185
10. रूसो, जॉन-जाक, सामाजिक अनुबंध, पेंगुइन क्लासिक्स, लंदन, 1968, पृ. 64
11. मिल, जॉन स्टुअर्ट, स्वतंत्रता पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1974, पृ. 18
12. मार्क्स, कार्ल, यहूदी प्रश्न पर, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मॉस्को, 1975, पृ. 32
13. मिल, जॉन स्टुअर्ट, स्वतंत्रता पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1974, पृ. 34
14. वेस्टिन, एलन एफ., निजता और स्वतंत्रता, एथेनियम प्रकाशन, न्यूयॉर्क, 1967, पृ. 7
15. नुसबाम, मार्था सी., महिलाएँ और मानव विकास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2000, पृ. 11
16. बॉयल, एलन, मानवाधिकार और पर्यावरण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2012, पृ. 63
17. वाल्जर, माइकल, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध, बेसिक बुक्स, न्यूयॉर्क, 1977, पृ. 286